कार्यालय
(झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची)
पत्रांक 637

प्रेषक,

जिला कार्यालय पदाधिकारी,
प्रा॰ शि॰ सर्व शिक्षा अभियान, राँची,
झारखण्ड।

सेवा में,

अध्यक्ष / प्रबंधक,
YBN PUBLIC SCHOOL,
HEC Sector-1, Near Panchmukhi Mandir,
Dhurwa,
Ranchi, Jharkhand
PIN-834004

दिनांक 16.6.24

विषय :– **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 परियोजनार्थ एवं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उप नियम 05 के अंतर्गत विद्यालय की प्रा॰ स्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशय / महशया,

आपके आवेदन पत्र सं॰ **YBNS-37/07/24 दिनांक 03.07.2024** उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय **YBN Public School, HEC, Sector-1, Near Panchmukhi mandir, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand PIN-834004** (विद्यालय का नाम एवं पुरा पता) प्रथम कक्षा से अष्टम् कक्षा तक जिसके संचालन हेतु गत वर्षो **2022** से **2027** अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती हैं। प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधिन होगी।

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 की धारा मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। स्वाघोषणा पत्र के आधार पर अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं विवरण निम्नवत है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:	**3.117 एकड (135815 Sq. Ft.)**
कुल निर्मित क्षेत्र	:	**17387 Sq. Ft**
खेल के मैदान का क्षेत्र	:	**118428 Sq. Ft**
वर्ग कक्षों की कुल संख्या	:	**25**
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष	:	हाँ
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय	:	हाँ
पेयजल की सुविधा	:	हाँ
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	:	हाँ
बाधा रहित पहूँच	:	हाँ
शिक्षण अधिनियम समाग्री	:	हाँ
खेल–कुद उपकरण	:	हाँ
पुस्तकालय	:	हाँ

2. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणिकरण चारटेट एकाउंटेट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रति वर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान **राँची, झारखण्ड** को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड कृपा अंकित एवं उद्वित किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा॰ शि॰ एवं सर्वशिक्षा अभियान, **राँची, झारखण्ड** अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृत की शर्तो के लगातार रूप से पुरा करने का सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन संबंधित कठिनाईयें को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. विद्यालयों के लिए अधिनियम के अंतर्गत जो मान और मानक निर्धारित है उन्हें 03 (तीन) वर्षो के अंदर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी। अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत है :–

क्र॰	मद	मान और मानक	
	षिक्षकों की संख्या		
1	(क) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए	**प्रवेश किये गये चालक**	**शिक्षकों की संख्या**
		60 तक	2 (दो)
		61–90 के मध्य	3 (तीन)
		91–120 के मध्य	4 (चार)
		121–200 के मध्य	5 (पाँच)
		150 बालकों के उपर	कक्षा एक से उपर एक अध्यापक
		250 बालकों के उपर	तीन शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक के अनुसार 40 से अधिक नहीं होगा)
		1 कम से कम प्रति कक्षा एवं शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो	
		i विज्ञान और गणित	
		ii सामाजिक अध्ययन	
		iii भाषा	
2	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक	
		3. जहां 100 उपर बालकों प्रवेश दिया गया है वहां :–	
		i पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक	
		ii अंशकालिक शिक्षक के लिए	
		अ कला शिक्षा	

		आ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक
		ई कार्य शिक्षा
3	भवन	सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे।
		1. प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह–मण्डल–सह–प्रधानाध्यापक कक्ष
		2. बाधा मुक्त पहूँच।
		3. लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय
		4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पेयजल
		5. रसोई घर दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाय
		6. सीमा विकाल या बॉण्ड्री द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा प्रदान करने क लिए व्यवस्थाएं
		7. खेल का मैदान
4	एक शैक्षणिक वर्ग में कार्य दिवसो/शिक्षण कार्यो की न्यूनतम संख्या	1. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए शैक्षणिक दिवस
		2. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति 220 कार्य दिवस
		3. पहली से पाँचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घण्टे
		4. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
5	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घण्टे सम्मलिति किये जाय)
6	अध्यापन षिक्षण उपस्वार	प्रत्येक कक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपलब्ध करायें जाएंगे।
7	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होगी।
8	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यदा अपेक्षित उपलब्ध कराये जायें।

अनुलग्न :– यथोक्परि।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सहित
नोडल पदाधिकारी,
आर॰टी॰ई॰ सेल,
प्रा॰ शिक्षा॰ एवं सर्वशिक्षा अभियान
राँची, झारखण्ड।